न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2014 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 08.10.2014
GCMS NO. :-2014/00008

1–मोहन पिता भैरा जाति जाट, निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–गोरधन पिता किशना जाति जाट, निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–रतनलाल पिता सोहन जाति जाट, निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट्स

बनाम

1–हीरालाल पिता नाथू जाति जाट, निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–गेहरीलाल पिता गणेश जाति जाट, निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–श्रीमति लेहरी बेवा घीसा जाति जाट, निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 4/2014 दिनांक 15.09.2014 तहसीलदार कपासन

उपस्थितिः– 1– श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता अपीलांट्स
2– श्री दिनेशचन्द्र दायमा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3

प्र. सं. 14/2014 (रा. अ.)
मोहन पिता भैरा जाट निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम हीरालाल पिता नाथू जाट निवासी रूपाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 26.07.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन में आराजी नम्बर 804 के बारे में अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात आराजी नम्बर 808, 810, 864, 763, 744, 818, 819, 740, 1156, 1160 एवं आराजी नम्बर 1162, 1200, 1201, 1195, 1199, 1189, 1188 एवं 1185 से होकर उनकी आराजीयात पर जाने का रास्ता खातेदारों द्वारा बन्द कर दिये जाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन में पेश किया। जिस पर एक तरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन ने उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता खुलवाने का आदेश दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 04/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2014 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया उसके पश्चात् उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल दायमा ने अण्डरटेंकिग प्रस्तुत की उसके पश्चात् अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द्र दायमा ने अधिकार पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहा किन्तु अधिकार पत्र पेश नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द्र दायमा ने अधिकार पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्र. सं. 14/2014 (रा. अ.)
मोहन पिता भैरा जाट निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम हीरालाल पिता नाथू जाट निवासी रूपाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलांट्स की खातेदारी की आराजीयात आराजी नम्बर 808, 810, 864, 763, 744, 818, 819, 740, 1156, 1160 एवं आराजी नम्बर 1162, 1200, 1201, 1195, 1199, 1189, 1188 एवं 1185 से होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी पर जाने का रास्ता खुलवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट्स की खातेदारी में से रास्ता खुलवाने का आदेश पारित कर दिया तहसीलदार द्वारा बिना साक्ष्य के ही रास्ता खुलवाने का आदेश कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने अपनी आराजी पर जाने का रास्ता खुलवाने हेतु अपीलांट्स की खातेदारी आराजीयात मे से रास्ता होने का कथन किया है किन्तु राजस्व रेकार्ड में ऐसा कोई रास्ता दर्ज नहीं है और ना ही मौके पर मौजूद है। अपीलांट्स की खातेदारी आराजीयात में से अधीनस्थ तहसीलदार को रास्ता खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है नक्शा ट्रेस में जो डोटेड लाईन दी गई है वह पक्की नहर तालाब की बनी हुई है जिसमें पानी सिंचाई के लिये आता है रेस्पोडेन्ट उपरोक्त डोटेड लाईन को रास्ता बताकर उपयोग-उपभोग करना चाहता है। रेस्पोडेन्ट के आने-जाने के लिये रास्ता गांव की पश्चिमी दिशा में होकर उपलब्ध है तथा वे उसी रास्ते से आ-जा रहे हैं। रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी में से रास्ता कायम करने का आदेश दिया है जो विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.09.2014 निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपीलांट्स के अधिवक्ता का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.09.2014 विधि-विरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने

हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं तथा अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा जवाब पेश किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है। अतः अपीलांट्स का कथन की एक तरफा कार्यवाही करते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना रास्ता खुलवाने का आदेश पारित कर दिया, मानने योग्य नहीं है।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य के रास्ता खुलवाने का आदेश पारित करने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब करने पर पटवारी हल्का रूपाखेडी द्वारा दिनांक 01.09.2014 को आदेश की पालना में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

पटवार हल्का रूपाखेडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में बताया है कि ''प्रार्थना पत्र की जांच की गई तो पाया कि बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 804 से होकर रास्ता प्रार्थी हीरा मु. नाथु जाट की भूमि 1195-1201 मे जाता है। यह रास्ता निजी खातेदारी आ. नं. 808, 810, 864, 763, 744, 818, 819, 740, 1156, 1160 से होकर आगे रास्ता रूपाखेडी से हापाखेडी जाने वाले रास्ते में मिलता है। मौके पर मोहन पिता भैरा, गोरधन पिता किशना, रतन पिता सोहन, बदरी पिता गणेश, लेहरी बेवा घीसा जाट ने अपनी-अपनी खातेदारी भूमि में जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया है।''

धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसारः-''धारा 251- मार्ग तथा अन्य निजी सुखचारों के अधिकारः- किसी भू-धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, विधि के सम्यक् क्रम से भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू-धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात् विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक-आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरूद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो।'' जिसके तहत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू-धारक को मार्गाधिकार तथा अन्य

सुखाचार या अधिकार का आनन्द लेने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए संक्षिप्त जांच द्वारा उपचार प्रदान करती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है कि आराजी नम्बर 808, 810, 864, 763, 744, 818, 819, 740, 1156, 1160 से होकर आराजी नम्बर 1162, 1200, 1201, 1195, 1199, 1189, 1188 एवं 1185 में रास्ता डोटेड़ लाईन से ट्रेस मार्किंग किया हुआ है जो पटवारी हल्का रूपाखेडी की रिपोर्ट अनुसार आगे रूपाखेडी से हापाखेडी जाने वाले मार्ग में मिलता है तथा रेकार्डेड रास्ते को किसी भी स्थिति में बन्द/अवरूद्ध नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का रूपाखेडी की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजीयात के खातेदारान् द्वारा अपनी-अपनी भूमि में जाने वाले रास्ते को बन्द/अवरूद्ध करना प्रमाणित पाया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन को रास्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत ऐसे अवरूद्ध रास्तों को खुलवाने के अधिकार प्रदत्त है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2014 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)